पंचायत बजट मैन्युअल

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा
राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 पर आधारित

भूपेन्द्र कौशिक

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पंचायत बजट मैन्युअल

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा
राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 पर आधारित

भूपेन्द्र कौशिक

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
फोन/फैक्स – 0141–2385254
E-mail: info@barcjaipur.org
Web: www.barcjaipur.org

अध्ययन, शोध अथवा प्रशिक्षण हेतु इस किताब के तथ्य एवं
आँकड़े किताब के संदर्भ के साथ उपयोग किये जाने योग्य।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र©

प्रथम संस्करण सितम्बर 2012

मुद्रकः **नित्य कांति एसोसिएट्स**
जवाहर नगर, जयपुर

अनुक्रमणिका

पेज नं.

- प्रस्तावना
- पंचायती राज का परिचय 1
  - 73 वें संविधान संशोधन के बिन्दु 1
  - त्रिस्तरीय पंचायतों का वर्तमान स्वरूप 2
  - अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार कानून 2
  - पंचायतों को हस्तांतरित विषय 3
- पंचायत बजट मैन्युअल : आवश्यकता एवं उद्देश्य 5
- पंचायतों में आयोजना : प्रावधान एवं प्रक्रिया 6
- पंचायतों में बजट 7
  - पंचायत बजट : अर्थ एवं महत्व 7
  - आयोजना एवं बजट में अंर्तसंबंध 7
  - पंचायतों के आय के स्रोत 8
  - पंचायतों की आय : टाईड एवं अनटाईड 12
  - बजट निर्माण के आधारभूत नियम 13
  - पंचायतों में बजट : संरचना एवं प्रक्रिया 14
  - सरकार द्वारा निर्धारित बजट निर्माण के शीर्ष/मद 16
  - राज्य बजट में पंचायतों को आवंटन के शीर्ष 18
  - पंचायत बजट : समय सारणी 19
  - पंचायत बजट : उत्तरदायित्व एवं स्वीकृति 19
- पंचायत बजट : लेखा संधारण, मूल्यांकन तथा अंकेक्षण 20
- परिशिष्ट 1 से 5 – पंचायत आयोजना, बजट, लेखा एवं अंकेक्षण के प्रपत्रों की प्रतियां 27
- परिशिष्ट 6 से 7 – पंचायतों को राशि हस्तांरण के प्रकार 32
- संदर्भ सूची 34

प्रस्तावना

राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के सफल संचालन हेतु यह आवश्यक है कि पंचायत के चुने हुये प्रतिनिधि तथा कर्मचारी पंचायती राज व्यवस्था के सभी पहलुओं यथा कानूनी, वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रावधानों से भली भांति परिचित हों। ऐसे में आवश्यकता जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ साथ पंचायती राज से विभिन्न पहलुओं पर सरल भाषा में सामग्री उपलब्ध करवाने की भी है।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ने इस दिशा में कदम उठाते हुए यह "पंचायत बजट मैन्युअल" तैयार किया है। इस पंचायत बजट मैन्युअल में पंचायतों के आयोजना, वार्षिक बजट, लेखा संधारण एवं अंकेक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया को संक्षिप्त एवं सरल भाषा में समझाया गया है। इसके अतिरिक्त पंचायतों को राज्य बजट से किन बजट शीर्षो (मदों) के अंतर्गत राशि आवंटित की जाती है इसका संक्षिप्त विवरण भी पंचायत बजट मैन्युअल शामिल किया गया है।

इस "पंचायत बजट मैन्युअल" में पंचायत आयोजना, बजट, लेखा संधारण तथा अंकेक्षण से संबंधित प्रपत्रों की प्रतियां भी अंत में "परिशिष्ट" 1 से 5 के अंतर्गत दी गई हैं। पंचायतों को सरकार/संस्थाओं से विभिन्न मदों में आवंटित राशि किस प्रक्रिया/तरीके से पंचायतों तक पहुंचती है इसे "परिशिष्ट" 6 एवं 7 में दिखाया गया है।

हमें आशा है कि यह मैन्युअल पंचायत जनप्रतिनिधियों, सरकारी पंचायती राज संस्थाओं के साथ कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा, संस्थाओं एवं प्रशिक्षकों तथा पंचायती राज के सशक्तीकरण में योगदान करेगा।

नेसार अहमद
समन्वयक

भूमिका

भारत, विश्व का सबसे बडा प्रजातांत्रिक देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्यों का बखूबी ध्यान रखा गया। इसी समय देश में ग्राम स्वराज्य या ग्राम स्वशासन के माध्यम से विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था का स्वप्न देखा जाने लगा जिसमें प्रशासन की सभी शक्तियां एक स्थान पर केन्द्रित ना होकर प्रशासन के हर स्तर पर बिखरी हुई होंगी। इस ग्राम स्वशासन के स्वप्न को साकार करने तथा विकेन्द्रित शासन व्यवस्था की नींव रखने के लिये भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने पर जोर दिया जाने लगा। हांलाकि भारत में पंचायती राज व्यवस्था उतनी ही पुरानी है जितनी कि भारतीय संस्कृति, लेकिन प्राचीन समय में इस व्यवस्था का कोई संवैधानिक तथा कानूनी आधार नहीं था। लेकिन स्वतन्त्रता के बाद इस व्यवस्था को कानूनी स्वरूप प्रदान करने पर जोर दिया जाने लगा। तत्कालीन सरकार ने सन 1957 में गठित 'बलवन्त राय मेहता कमेटी' की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से देश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया। इसके पश्चात सन 1960 में राजस्थान में विधिवत चुनाव कराकर त्रिस्तरीय व्यवस्था क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद का प्रावधान किया गया।

पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिये भारतीय संसद ने वर्ष 1992 में 73 वां संविधान संशोधन पारित किया। इस संविधान संशोधन के प्रावधानों को 24 अप्रैल 1993 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। इस 73 वें संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अध्याय (भाग–9) जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 (क) से 243 (ण) तक पंचायती राज व्यवस्था के नियमों से संबंधित हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 (घ) में पंचायत को परिभाषित करते हुये उसे ग्रामीण अंचलों में स्व–शासन की संस्था माना गया है तथा धारा 243 (ज) में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं दायित्वों को स्पष्ट किया गया है। संविधान के अन्य अनुच्छेदों के अनुसार राज्य की विधायिका पंचायतों को ऐसी शक्तियां एवं अधिकार सुपूर्द करेगी जिनके आधार पर पंचायतें स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बन सकें।

संविधान में 73 वें संशोधन के आधार पर प्रदेश में 'राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994' लागू किया गया तथा इस अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिये 'राजस्थान पंचायती राज नियम 1996' तैयार किया गया।

"उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय 1997 एस.सी. 217 में पंचायती राज की उपेक्षा को गणराज्य की आत्मा व जनशक्ति की उपेक्षा करना बताया है।"

पंचायती राज : एक परिचय

73 वां संविधान संशोधन : देश में स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रित शासन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने वर्ष 1992 में 73 वां संविधान संशोधन पारित किया। इस संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान निम्न हैं।

- ग्राम सभा को गांवों की लोक सभा के रूप में संवैधानिक मान्यता हो जो कि विकेन्द्रित स्वशासन की बुनियादी इकाई है।
- त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समान रूप से देश भर में लागू की जायेगी।
- सदस्य एवं अध्यक्ष पदों हेतु पंचायती राज में महिलाओं को न्यूनतम एक तिहाई आरक्षण दिया जायेगा।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जायेगा।
- राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के साथ प्रत्यक्ष तथा नियमित चुनाव व्यवस्था लागू की जायेगी।
- पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात विधिवत चुनाव करवाना आवश्यक होगा।
- हर राज्य में प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन होगा, जो पंचायती राज संस्थाओं को दिये गये दायित्वों के अनुरूप उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार से सिफारिशें करेगा।
- प्रत्येक जिले में जिला आयोजना समिति का गठन किया जायेगा।
- संविधान की 11 वीं अनुसूची में दर्ज 29 विषयों पर राज्य सरकारें पंचायतों को अधिकार एवं शक्तियां हस्तांतरित करेंगी।
- हस्तांतरित विषयों पर विकास कार्य योजना बनाने एवं क्रियान्वयन का पंचायतों को अधिकार दिया गया।

त्रिस्तरीय प्रशासन : पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय प्रशासन की व्यवस्था है जिसमें आयोजना निर्माण से मूल्यांकन तक सभी शक्तियां तीन स्तरों पर विकेन्द्रित रहती हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्था रहती है, जिसका अध्यक्ष सरपंच होता है तथा सचिव इस संस्था के लिये सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त होता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति

कार्यकारी संस्था रहती है, जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है तथा विकास अधिकारी इस संस्था पर सरकारी अधिकारी नियुक्त होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद कार्यकारी संस्था है, जिसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस संस्था पर सरकारी अधिकारी नियुक्त होता है।

वर्तमान स्वरूप : पंचायती राज निर्वाचन 2010 के बाद राज्य में कुल 33 जिला परिषदें, 249 पंचायत समितियां तथा 9177 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। पंचायतों में वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति को 16, अनुसूचित जन जाति के लिये 12 तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से हर स्तर पर तथा सभी आरक्षित समूहों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 की पालना में भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों के लिये 24 दिसम्बर 1996 को (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम) 'पेसा कानून' बनाया, जिसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को कुछ विशेष अधिकार तथा शक्तियां प्रदान की गईं।

राजस्थान सरकार ने इसी उद्देश्य के लिए वर्ष 1999 में 'पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम 1999' लागू किया। सरकार ने प्रदेश में इस अधिनिमय को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये नवम्बर 2011 में इसके नियम बनाये। इस अधिनियम के दायरे में राज्य की कुल 27 ब्लॉक पंचायतों को रखा गया है तथा इन पंचायतों को निम्न अधिकार एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं।

- अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को परम्पराओं, रूढियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक स्रोतों तथा विवाद सुलझाने के परम्परागत तरीकों को सुरक्षित रखने के अधिकार होंगे।
- ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास की परियोजनाओं/पंचायत की योजनाओं/अन्य कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के लिये हाथ में लेने से पूर्व उनका अनुमोदन करेगी।

- ग्राम सभा गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यक्तियों के चयन के लिये उत्तरदायी होगी।
- पंचायत द्वारा योजनाओं पर खर्च राशि का ग्राम सभा प्रमाणपत्र जारी करेगी।
- विकास योजनाओं के लिये भूमि का अधिग्रहण ग्राम सभाओं के परामर्श से किया जायेगा।
- गौण खनिजों के लिये ग्राम सभा की सिफारिश के बिना खनन पट्टा मंजूर नहीं किया जायेगा।
- गौण खनिजों के विदोहन पर रियायतों के लिये भी ग्राम सभा से मंजूरी लिया जाना आवश्यक होगा।
- गौण वन उपज, जनजाति सदस्यों को उधार देने एवं मद्य निषेध लागू करने जैसे प्रकरणों में ग्राम सभा को स्वामित्व/नियंत्रण/सिफारिश करने का अधिकार होगा।
- सामाजिक क्षेत्र की सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, कार्यकर्ताओं पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा।

राज्य में पंचायतों को हस्तांतरित 16 विषय – राजस्थान सरकार ने वर्ष 2000 में पंचायतों को हस्तांतरित कुल 29 विषयों में से 16 विषयों के कुछ क्रियाकलाप पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। राजस्थान सरकार द्वारा 3 जून 2003 को निम्न 16 विषयों ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिक्षा, कृषि, राजस्व, सिंचाई, पशुपालन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, उद्योग, उर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण, वन, तकनीकी, पर्यटन कला एवं संस्कृति, के कुछ कार्य पंचायतों को हस्तांतरित किये गये।

राज्य में पंचायतों को पूर्ण रूप से हस्तांतरित विषय : राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2010 को पंचायतों को हस्तांतरित 16 विषयों में से 5 विषय मय बजट, कार्य तथा कार्मिक पूर्ण रूप से पंचायतो को हस्तांतरित कर दिये हैं। ये पांच विषय निम्न हैं।

1 – कृषि
2 – प्रारम्भिक शिक्षा
3 – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
4 – सामाजिक न्याय व अधिकारिता
5 – महिला एवं बाल विकास

पंचायतों को पूर्ण रूप से हस्तांतरित उपरोक्त 5 विषयों से संबंधित मुख्य प्रावधान निम्न हैं।

- हस्तांतरित 5 विषयों के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला परिषद तथा ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी, पंचायत समिति तथा ग्राम स्तरीय कर्मचारी, ग्राम पंचायत के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
- हस्तांांतरित विषयों के मार्गदर्शन व मूल्यांकन को पंचायतों द्वारा निर्देशित किया जायेगा।
- वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक हस्तांतरित विभाग, अपने से संबंधित

पंचायत से सहयोग प्राप्त करेगा तथा कार्य योजना का अनुमोदन संबंधित पंचायत से करवायेगा।

- समस्त कर्मचारी व अधिकारियों के स्थानानंतरण का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं का होगा।
- आगामी राज्य वित्त योजनाएं पंचायतों के व्यय में विभागीय व्यय की राशि को जोड़ते हुए तैयार की जायेंगी।
- हस्तांतरित विषयों के जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तरीय कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण एवं निगरानी का कार्य पंचायतों की स्थाई समीतियों द्वारा किया जायेगा।
- हस्तांतरित विषयों से संबंधित सभी विभागों का तकनीकी पर्यवेक्षण पैतृक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- समस्त 5 विभागों की बजट राशि संबंधित पंचायतों के माध्यम से जारी की जायेगी।

पंचायत बजट मैन्युअल : आवश्यकता एवं उद्देश्य

राज्य सरकार ने पंचायतों के लिये पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा नियम 1996 पारित किये हैं लेकिन देखने में आया है कि अधिकांश पंचायत प्रतिनिधियों को अपने अधिकार, कर्तव्य एवं भूमिका निर्वहन में समस्या रहती है। इसी संदर्भ में बार्क ने निम्न उद्देश्यों के लिये पंचायत बजट को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है।

- पंचायत बजट मैन्युअल के माध्यम से पंचायतों में बजट निर्माण एवं बजट से संबंधित अन्य प्रावधानों को संक्षिप्त एवं सरल भाषा में समझा जा सकता है।
- राज्य बजट में पंचायतों की स्थिति एवं राशि आवंटन को पंचायत बजट मैन्युअल के सहयोग से समझा जा सकता है।
- पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को जानकारी देने तथा उनके क्षमता संवर्धन के लिये पंचायत बजट मैन्युअल सहयोगी है।
- पंचायती राज अधिनियम में संशोधनों के बाद, परिवर्तित जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिये पंचायत बजट मैन्युअल तैयार किया गया है।

पंचायत में आयोजना : प्रावधान एवं प्रक्रिया

- 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को आयोजना निर्माण का संवैधानिक अधिकार दिया गया है।
- जिसके अनुसार तीनों स्तरों की पंचायतें अपने अपने कार्य क्षेत्र में विकास एवं कल्याण के लिये आयोजना बनाने का कार्य करती हैं।
- पंचायतें अपनी कार्ययोजना पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय आयोजना के रूप में तैयार करती हैं।
- पंचायतों में आयोजना निर्माण का कार्य तीन स्तरों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर किया जाता है।
- सन 2000 में जारी अध्यादेश के द्वारा ग्राम पंचायतों के आयोजना निर्माण में वार्ड सभाओं को भी आयोजना निर्माण का अधिकार दिया गया।
- ग्राम पंचायतें अपनी आयोजना प्रपत्र क, पंचायत समितियां प्रपत्र ख तथा जिला परिषदें प्रपत्र ग में तैयार करती हैं।
- ग्राम पंचायत की आयोजना ग्राम सभा, पंचायत समिति की आयोजना साधारण सभा (पंचायत समिति) तथा जिला परिषद की आयोजना साधारण सभा (जिला परिषद) द्वारा अनुमोदित की जाती है।
- संविधान के 73वें संशोधन द्वारा हर जिले में जिला आयोजना समिति का प्रावधान रखा गया है।
- जिला आयोजना समिति एक संवैधानिक समिति है, जो जिला आयोजना को स्वीकृत करती है।
- यह समिति, स्थानीय निकायों (शहरी तथा ग्रामीण) से प्राप्त आयोजना प्रारूपों को इकजाई करते हुए उसे जिला आयोजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाती है।
- आयोजना समिति द्वारा स्वीकृत जिला आयोजना को 'जिला विकास योजना' कहा जाता है।
- पंचायतों को बजट बनाते समय अपने वार्षिक आयोजना को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये।
- सरकार द्वारा आयोजना निर्माण की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिये राज्य, जिला एवं उपखण्ड स्तर पर तीन समितियों का गठन किया जाता है।

पंचायत बजट : अर्थ एवं महत्व

बजट क्या है : किसी पंचायत के लिये बजट अगले वित्तीय वर्ष का आय–व्यय का अनुमान होता है। दूसरे शब्दों में पंचायत बजट, किसी पंचायती राज संस्था का आय–व्यय का वह वार्षिक विवरण होता है जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय तथा आगामी वर्ष के अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण उल्लेखित होता है।

पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 74 तथा पंचायती राज नियम 1996 के उपनियम 193 के अंतर्गत पंचायत बजट का स्वरूप स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार पंचायत बजट किसी वर्ष के लिये, किसी पंचायती राज संस्था की कुल प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमान का एक विवरण होता है।

महत्व :

- पंचायत बजट पंचायती राज संस्थाओं के लिये संवैधानिक महत्व का विषय है।
- पंचायतें बजट बनाते समय सामुदायिक विकास एवं लोक कल्याण की नई योजनाएं चलाने का प्रावधान रख सकती हैं।
- पंचायत बजट के आधार पर पंचायतों की वार्षिक आय तथा व्यय का परस्पर आंकलन संभव हो सकता है।
- बजट में वित्तीय स्थिति या खर्च के आधार पर कार्यों की भौतिक प्रगति का अनुमान किया जा सकता है।
- बजट की निगरानी एवं मूल्यांकन से योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जा सकता है।

पंचायत आयोजना एवं बजट में अंर्तसंबंध

पंचायतों को आयोजना तथा बजट निर्माण का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। पंचायतें सर्वप्रथम संभावित कार्यों को सूचीबद्ध करते हुये आयोजना बनाती हैं, उसके पश्चात सूचीबद्ध कार्यों पर आयोजना, गैर आयोजना, प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों को शामिल करते हुये पंचायत बजट का निर्माण किया जाता है।

- पंचायतों को आयोजना तथा बजट निर्माण का अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है।
- पंचायतों के लिये आयोजना एवं बजट निर्माण करना आवश्यक शर्त है।
- किसी पंचायत के लिये आयोजना तैयार करना पहली तथा बजट बनाना उसके बाद की अवस्था होती है।
- पंचायत आयोजना में अगले वर्षों में किए जाने वाले कार्यों तथा उनकी प्राथमिकताओं का विवरण होता है।
- पंचायत अपना बजट प्रस्तावित आयोजना के कार्यों पर अनुमानित व्यय को शामिल करते हुये तैयार करती है।
- पंचायत आयोजना में कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रकृति का विवरण दिया जाता है जबकि पंचायत बजट में आयोजना पर कुल व्यय के साथ प्रशिक्षण, संस्थापन तथा अन्य खर्च को भी सम्मिलित किया जाता है।

पंचायतों के आय के स्रोत

पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के अंतर्गत प्रदेश में तीनों स्तरों की पंचायतों के आय के विभिन्न स्रोत बताए गए हैं राज्य में पंचायतों से संबंधित वित्तीय प्रावधानों को निम्न विवरण से समझा जा सकता है।

निजी आय : पंचायतों की निजी आय से तात्पर्य, वह आय जो पंचायती राज संस्थाएं अपने क्षेत्र में कर लगाकर या गैर कर राजस्व के रूप में सृजित करती हैं।

- **कर राजस्व** : पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 65, 68 एवं 69 के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को अपने क्षेत्र में विभिन्न कर लगाकर आय प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। उदाहरण – भवन कर, राजस्व कर, पीने के तथा सिंचित जल पर कर, भूमि कर, वाहन कर, मनोरंजन कर, व्यवसाय कर (दुकान या अन्य व्यवसाय), शराब पर कर, अन्य कर।

- **गैर कर राजस्व :** पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 62 के अनुसार पंचायतें अपने क्षेत्र में जुर्माने (शास्ति) लगाकर तथा भूमि क्रय–विक्रय पर शुल्क, किराये, नीलामी एवं विभिन्न फीसों से गैर कर राजस्व आय प्राप्त करने का अधिकार रखती हैं। उदाहरण – चारागाह भूमि से आय, मेले व आयोजन स्थलों से आय, फीस व जुर्माने, कुटीर व लघु उद्योगों से आय, स्टाम्प डयूटी, भर्ती प्रकिया से आय, ठेकों ;ज्मदकमतद्ध से आय, नीलामी से आय, अन्य से आय।

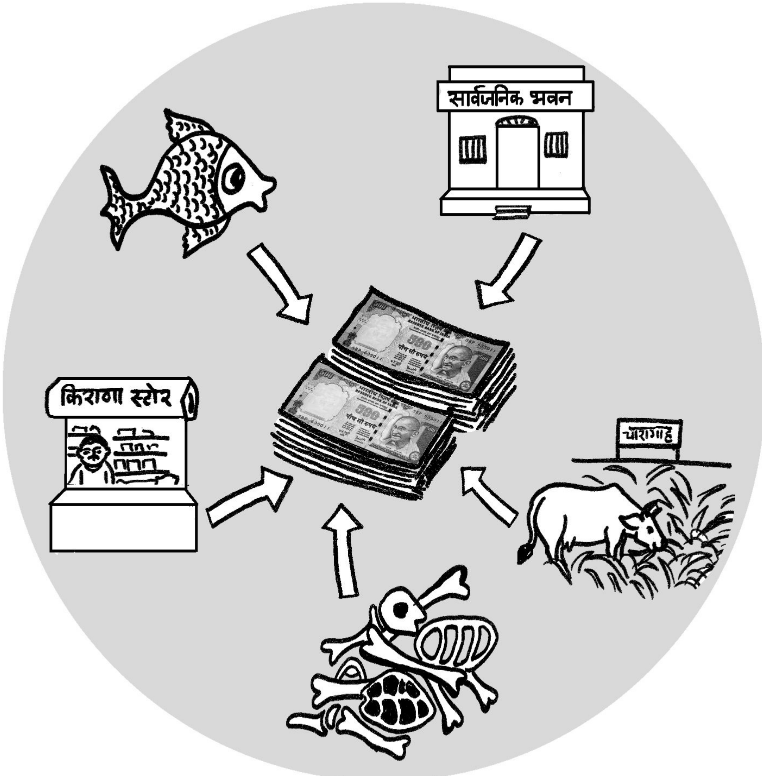

राज्य सरकार से आय – राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मुख्य रूप से तीन मदों के अंतर्गत राशि जारी की जाती है।

- **राज्य से आयोजना राशि** – राज्य सरकार द्वारा वार्षिक आयोजना के अनुसार पंचायतों को जो राशि विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संचालन हेतु जारी की जाती है वह राज्य से प्राप्त आयोजना राशि कहलाती है। उदाहरण : मगरा, मेवात तथा डांग क्षेत्र विकास योजना।

- **राज्य वित्त आयोग से राशि** – राज्य सरकार जो राशि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को उनके संस्थापन या विभिन्न कार्यक्रमों

के संचालन के लिए जारी करती है वह राज्य वित्त आयोग की राशि कही जाती है उदाहरण : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि।

- **राज्य सरकार से अनुदान** – राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को कुछ राशि पंचायतों के रख रखाव एवं विकास को ध्यान में रखते हुए भी जारी की जाती है। पंचायतों को यह अनुदान राशि निम्न मदों में जारी की जाती है। उदाहरण : भू–राजस्व के हिस्सा पेटे 11रू./व्यक्ति प्रतिवर्ष, रख रखाव अनुदान, प्रोत्साहन अनुदान, मैचिंग फंड, नई पंचायतों को अनुदान इत्यादि।

केन्द्र सरकार से आय – केन्द्र सरकार द्वारा जो राशि प्रत्येक वर्ष राज्यों को उनके विकास एवं कर में योगदान के आधार पर जारी की जाती है वह केन्द्र सरकार से आय के अंतर्गत आती है।

- **केन्द्र प्रवर्तित योजना की राशि** – केन्द्र सरकार जो राशि राज्य सरकार के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संचालन के लिए जारी करती है वह केन्द्र से पंचायतों को प्राप्त आयोजना राशि कही जाती है। यह आवंटित राशि कार्यक्रमों एवं योजनाओं में केन्द्र एवं राज्य के हिस्सेदारी के अनुपात के आधार पर अलग अलग होती है। उदाहरण : आई.ए.वाई, एस.जी.एस.वाई, मनरेगा।

- **केन्द्रीय वित्त आयोग से राशि** – केन्द्रीय वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय करों में हिस्से के आधार पर राशि आवंटित करती है। इस राशि में से कुछ राशि राज्य

सरकार को पंचायतों को देनी होती है। केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को जो राशि उनके द्वारा केन्द्रीय करों में योगदान के आधार पर जारी की जाती है, वह केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त राशि कही जाती है। केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त राशि राज्य सरकारों द्वारा सामुदायिक कल्याण एवं विकास की योजनाओं में खर्च की जाती है। आयोग के नियमानुसार पंचायती राज संस्थाएं इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रो में पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित कार्यों व योजनाओं में कर सकती हैं। उदाहरण : बाहरवां एवं तेहरवां केन्द्रीय वित्त आयोग।

सोसायटीज से राशि – केन्द्र तथा राज्य स्तर पर बहुत सी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन सोसायटीज के माध्यम से किया जाता है, इन सोसायटीज का गठन सोसायटीज एक्ट 1958 के अंर्तगत रजिस्र्टड संस्थाओं के रूप में होता है। इन सोसायटीज के माध्यम से भी पंचायतों को कुछ कार्यक्रमों / योजनाओं के संचलान हेतु राशि जारी की जाती है। उदाहरण : सर्व शिक्षा अभियान, एड्स कंट्रोल सोसायटी, एन.आर.एच.एम. एवं अन्य।

विदेशी संस्थाओं से आय – वह राशि जिसे विदेशी संस्थाएं, राज्य सरकार के माध्यम से पंचायती राज निकायों को कुछ बाहरी वित्त पोषित कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संचालन के लिये आवंटित करती हैं वह पंचायतों की विदेशी संस्थाओं से आय कहलाती है। विदेशी संस्थाओं से योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये आवंटित राशि प्रायः राज्य को कर्ज या अनुदान के रूप दी जाती है। उदाहरण : डी.पी.आई.पी., आर.यू.आई.डी.पी. तथा अन्य।

पंचायतों को उपरोक्त सभी मदों के अतिरिक्त, कुछ अन्य मदों में भी राशि आवंटित की जा सकती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं।

- **पुरस्कार राशि** – वह राशि जो पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य सरकार से उनके उत्तम कार्य के लिये पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। वह पंचायतों की अन्य से आय के अंतर्गत आती है। **उदाहरण** : निर्मल ग्राम पुरस्कार एवं अन्य।
- **उधार / कर्ज** – पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 76 के अनुसार कोई पंचायती राज संस्था अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, ऐसी निर्दिष्ट योजनाओं के लिये जो पंचायती राज संस्था द्वारा इस अनुरूप तैयार की गई हो, सरकार से या सरकार की पूर्व अनुमति से बैंकों से या अन्य वित्तीय संस्थाओं से धन उधार ले

सकती है। वह पंचायतों की अन्य से आय के अंतर्गत आती है। उदाहरण : मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना।

पंचायतों की आय : टाईड एवं अनटाईड

पंचायतों की वित्तीय स्थिति एवं उनकी वार्षिक आय को पंचायतों को आवंटित राशि की प्रकृति के आधार पर इस प्रकार भी समझा जा सकता है। पंचायतों को कुल वार्षिक राशि मुख्यतः दो मदों टाईड एवं अनटाईड के अंतर्गत आवंटित की जाती है।

पंचायतों के आय के स्रोत

- **निजी आय –**
  - कर राजस्व**
  - गैर कर राजस्व**
- **राज्य सरकार से आय –**
  - राज्य से आयोजना राशि*
  - राज्य वित्त आयोग से राशि**
  - राज्य सरकार से अनुदान**
- **केन्द्र सरकार से आय –**
  - केन्द्र प्रवर्तित योजना की राशि*
  - केन्द्रीय वित्त आयोग से राशि**
- **सोसायटीज से राशि***
- **विदेशी संस्थाओं से आय***
- **पुरस्कार राशि****
- **उधार/कर्ज –***

टाईड फण्ड* अनटाईड फण्ड़ **

टाईड फण्ड – पंचायतों को टाईड (बन्धन सहित) मद में आवंटित राशि वह राशि होती है जिसके खर्च के लिये पंचायतें प्रतिबंधित होती है तथा इस रूप में प्राप्त राशि को पंचायतें अपनी समझ एवं आवयकता के अनुसार खर्च करने के लिये स्वतन्त्र नहीं होती हैं। टाईड फंड में प्राप्त राशि केवल उसी मद में खर्च की जा सकती है जिस मद में खर्च हेतु वह राशि आवंटित की गई है। टाईड फंड के अंतर्गत मुख्य रूप से केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की राशि शामिल की जाती है।

उदाहरण टाईड फंड – केन्द्र प्रवर्तित योजना, राज्य आयोजना एवं अन्य योजनान्तर्गत राशि।

अनटाईड फण्ड – पंचायतों को अनटाईड (निर्बन्ध) मद में आवंटित राशि वह राशि होती है जिसके खर्च के लिये पंचायतों पर प्रतिबन्ध नहीं होता है। अनटाईड फंड के रूप में प्राप्त राशि को पंचायतें अपनी समझ एवं क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार खर्च करने के लिये स्वतन्त्र होती हैं। अनटाईड फंड के अंतर्गत मुख्य रूप से केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व से प्राप्त निजी आय की राशि को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण अनटाईड फंड – राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, पंचायत द्वारा स्वयं उगाहे गये कर, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत प्राप्त राशि।

बजट निर्माण के आधारभूत नियम

राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किसी पंचायती राज संस्था को अपनी पंचायत का वार्षिक बजट बनाते समय निम्न लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।

1. पंचायत के पास पिछले वर्ष की बजट राशि में से कितनी राशि अभी शेष हैं।
2. पंचायत की वर्तमान वर्ष की अनुमानित आय कितनी है।

   अनुमानित आय का विवरण निम्न तथ्यों के आधार पर तैयार किया जाता है।

   - **पंचायत की अनुमानित निजी आय** –

   1. कर राजस्व से आय – किसी भी पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर कर लगाकर जो आय प्राप्त की जाती है। वह पंचायत की कर राजस्व आय कहलाती है।

      उदाहारण : भूमि कर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान कर इत्यादि।
   2. गैर कर राजस्व से आय – किसी पंचायत की गैर कर राजस्व आय से अभिप्राय उस आय से है जिसे पंचायत अपने क्षेत्र में बिना कर लगाये किन्ही अन्य स्रोतों से प्राप्त करती है।

      उदाहरण : शुल्क, शास्तियां, मेलों, भूमि–विक्रय इत्यादि।

- राज्य सरकार से अनुदान व सहायता –
- केन्द्र सरकार से सहायता व अनुदान –
- विदेशी अनुदान से संचालित योजनाओं की राशि –

3. पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों पर अनुमानित व्यय की राशि भी बजट में शामिल हो।
4. पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों पर संभावित व्यय की राशि भी बजट में जोडी जानी चाहिये।
5. केन्द्र या राज्य सरकार से जो राशि उधार ली गयी है, उस उधार तथा उसके ब्याज की राशि को पंचायत का बजट बनाते समय सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

पंचायतों में बजट : संरचना एवं प्रक्रिया

पंचायती राज अधिनियम 1994 के निर्देशानुसार पंचायतों के लिये बजट बनाने की प्रक्रिया निम्न संरचना के अनुसार पूर्ण की जाती है, इस प्रक्रिया में पंचायतों के लिये बजट निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत से प्रारम्भ होकर पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

ग्राम पंचायत के लिये बजट अनुमान प्रारूप संख्या–27 में तैयार किया जाता है। ग्राम पंचायत के लिये बजट अनुमान प्रपत्र तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव की होती है। ग्राम पंचायत का बजट अनुमान तैयार कर ग्राम सभा के समक्ष रखा जाता है तथा ग्राम सभा उसे बहुमत के आधार पर अनुमोदित करती है। ग्राम पंचायत का अनुमोदित बजट अनुमान संबंधित पंचायत समिति को भेजा जाता है।

पंचायत बजट बनाने की प्रक्रिया

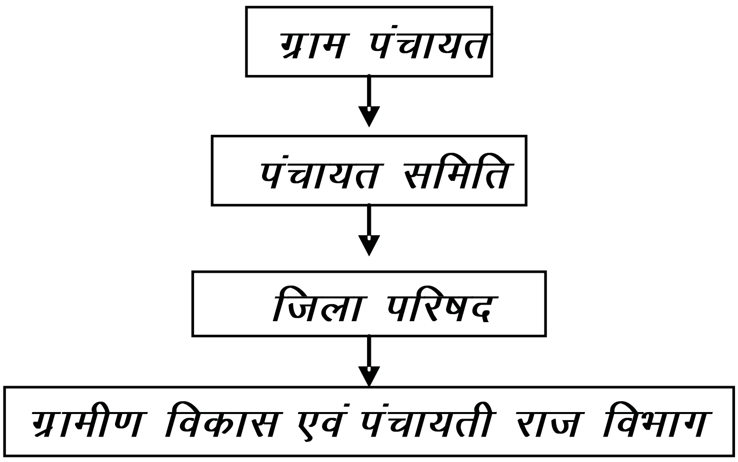

पंचायत समिति के लिये बजट अनुमान प्रारूप संख्या–28 में तैयार किया जाता है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों से प्राप्त बजट अनुमानों को इकजाई करती है तथा उसमें पंचायत समिति के प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों को जोड़ते हुये पंचायत समिति का बजट अनुमान तैयार किया जाता है। पंचायत समिति का बजट अनुमान तैयार करने की जिम्मेदारी विकास अधिकारी की होती है। पंचायत समिति का बजट अनुमान पंचायत समिति की साधारण सभा में बहुमत से अनुमोदित होता है तथा जिला परिषद को भेजा जाता है।

जिला परिषद के लिये प्रारूप संख्या–28 में बजट अनुमान तैयार किया जाता है। पंचायत समितियों से प्राप्त बजट प्रपत्रों को इकजाई करते हुए तथा उसमें जिला परिषद के प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों को जोड़ते हुये जिला परिषद का बजट अनुमान तैयार किया जाता है। जिला परिषद के लिये बजट अनुमान तैयार करने जिम्मेदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की होती है। जिला परिषद का बजट अनुमान, जिला परिषद की साधारण सभा द्वारा बहुमत से अनुमोदित होता है। **जिला परिषद से अनुमोदित बजट अनुमान पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजा जाता है।**

अनुपूरक या पुनरीक्षित बजट : पंचायती राज नियम 1996 के नियम 200 के अनुसार जब कोई पंचायती राज संस्था किसी ऐसे कार्य को करना चाहे जो स्वीकृत बजट में शामिल न हो या उस पर स्वीकृत बजट राशि से अधिक का व्यय किया जाना हो, तो उस अतिरिक्त राशि को प्राप्त करने या गैर बजटीय कार्य को करने के लिये पंचायत द्वारा अनुपूरक या पुनरीक्षित बजट तैयार किया जाता है। अनुपूरक बजट भी वार्षिक बजट की प्रक्रिया के अनुसार ही तैयार किया जाता है तथा वार्षिक बजट के समान ही अनुपूरक बजट की स्वीकृति की प्रक्रिया होती है। अनुपूरक बजट की स्वीकृति के पश्चात ही उस विषय पर धन व्यय किया जा सकता है।

सरकार द्वारा बजट के लिये निर्धारित शीर्ष या मद

केन्द्र के महालेखा नियंत्रक (सी.ए.जी.) द्वारा बजट लेखा को सरल भाषा में व्यवस्थित करने के लिये सभी मांगों को कोड नम्बर (शीर्ष) में बांटा हुआ है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ पंचायती राज संस्थाओं को भी बजट बनाते समय इन कोड नम्बर (शीर्ष) का समुचित ध्यान रखना होता है। पचांयतों को बजट बनाते समय अपने आय एवं व्यय की राशि को इन शीर्षों के अंतर्गत दिखाना आवश्यक होता है। इन शीर्षों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है।

- मुख्य शीर्ष – यह बजट शीर्ष 4 अंकों का होता है। यह सभी पंचायत, राज्य व केन्द्रीय बजट में एक समान होता है। मुख्य शीर्ष यह दर्शाता है कि राशि किस विषय या मद विशेष में जारी की गई है। मुख्य शीर्ष में प्रारंभिक अंक निम्न प्रकार के मदों को दर्शाता है।

0–1 से प्रारम्भ	राजस्व प्राप्तियां
2–3 से प्रारम्भ	राजस्व व्यय
4–5 से प्रारम्भ	पूंजीगत व्यय
6–7 से प्रारम्भ	लोक ऋण, उधार एवं अग्रिम
8 से प्रारम्भ	राजस्व लोक खाता एवं आकस्मिक निधि

उदाहरण : 2202 – सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय, 2210 – चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में राजस्व व्यय। 4202 – सामान्य शिक्षा में पूंजीगत व्यय, 4210 – चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में पूंजीगत व्यय।

- उप मुख्य शीर्ष – यह 2 अंकों का होता है जो मुख्य शीर्ष के अंतर्गत आने वाले उप विभागों/उप कार्य को दर्शाता है। उदाहरण – मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा में उपमुख्य शीर्ष 01–प्रारंभिक शिक्षा तथा 02 माध्यमिक शिक्षा को दर्शाता है।
- लघु शीर्ष – यह 3 अंकों का होता है। मुख्य शीर्ष या उप मुख्य शीर्ष के अंतर्गत किसी कार्य विशेष से संबंधित कार्यक्रमों, मुख्य गतिविधियों, एवं स्थानीय स्वशासन के ईकाइयों को दर्शाता है। उदाहरण – मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 01 प्रारंभिक शिक्षा, 001–प्रशासन एवं निदेशन 196–जिला परिषद, 197–ब्लॉक पंचायत तथा 198 ग्राम पंचायतों को दर्शाता है।
- उप शीर्ष – यह 2 अंकों का होता है। यह शीर्ष हमेशा इस छोटे कोष्टक ( ) में दर्शाया जाता है। लघु शीर्ष के किसी विशिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत योजना विशेष हेतू जारी राशि का विवरण इसमें प्रदर्शित होता है। उदाहरण – मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष 196 जिला परिषद में (01)–सामान्य शिक्षा, (02)–छात्रावास संधारण को दर्शाता है।
- समूह शीर्ष (ग्रुप हैड) – यह भी 2 अंकों का होता है लेकिन यह शीर्ष हमेशा बडे कोष्टक () में होता है, यह उप शीर्ष के अंतर्गत चलाई जा रही किसी योजना की एक गतिविधि का विवरण दर्शाता है। उदाहरण – मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष 196 जिला परिषद (01)–सामान्य शिक्षा में (01),–प्रशिक्षण, (02),–कार्यक्रम एवं गतिविधी को दर्शाता है।
- विवरण शीर्ष (डिटेल हैड) – यह 2 अंकों का होता है। यह खर्च की प्रकृति को दर्शाता है। यह खर्च विशेष जैसे क्या सामान खरीदा, संवेतन, यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि को दर्शाता है।

इसे निम्न सारणी में दिए गए बजट शीर्षों के उदाहरण से भी समझा जा सकता है –

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष
1	2202–सामान्य शिक्षा	01–प्रारंभिक शिक्षा	001–निदेशन व प्रशासन	(01)–सामान्य शिक्षा	[00]–कोई शीर्ष नहीं
2	2225–अनुजातियों अनु जन जातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण	01–अनुसुचित जातियों का कल्याण	196–जिला परिषदों को सहायता	(02)–छात्रावासो का संधारण	[02]–कार्यकम तथा गतिविधियां

- **राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को अंवतरित बजट के जिलेवार आंकडों की जानकारी समूह शीर्ष तक ही उपलब्ध है। यह जानकारी राज्य बजट पुस्तिका संख्या – 4 ब में उपलब्ध है।**

राज्य बजट से पंचायतों को आवंटन के मुख्य शीर्ष

राज्य बजट से पंचायतों को जो वार्षिक बजट की राशि आवंटित की जाती है उसकी जानकारी सरकार बजट पुस्तिका 4 ब के माध्यम से देती है। तीनों स्तरों की पंचायतों को वार्षिक बजट राशि प्रायः निम्न मुख्य शीर्ष के अंतर्गत जारी की जाती है।

क्र. सं.	बजट मद	विवरण	जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
1.	2202	सामान्य शिक्षा	✓	✓	
2.	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	✓	✓	
3.	2211	परिवार कल्याण	✓	✓	
4.	2225	अनु.जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों का कल्याण	✓		
5.	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण	✓		
6.	2236	पोषण	✓	✓	
7.	2401	फसल कृषि कर्म	✓	✓	
8.	2402	मृदा एवं जल संरक्षण	✓		
9.	2406	वानिकी एवं वन्य प्राणी	✓		
10.	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	✓		
11.	2505	ग्राम रोजगार	✓		
12.	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	✓	✓	✓
13.	2701	मध्यम सिंचाई	✓	✓	
14.	2702	लघु सिंचाईं	✓	✓	
15.	3054	सड़क तथा सेतू	✓	✓	
16.	3604	पंचायतों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	✓	✓	✓

पंचायतों को उपरोक्त मदों में राशि आवंटन के अतिरिक्त भी हर वर्ष कुछ राशि विशिष्ट मद में जारी की जाती है यह विशिष्ट मद की राशि तीनों स्तरों की पंचायतों को देय होती है। राज्य बजट से प्रायः निम्न मुख्य के अंतर्गत विशिष्ट मद की राशि आवंटित की जाती है।

- विशिष्ट मद में पंचायतों को राज्य बजट से 2505 ग्राम रोजगार, 2575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, 3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय एवं 4575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत राशि जारी की जाती है।

पंचायत बजट : समय सारणी

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 193 में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक पंचायत का यह दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र के विकास एवं कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए हर वर्ष (एक निश्चित समय अवधि में) पंचायत का बजट बनाये तथा उसे पारित करवाने हेतु आवश्यक तैयारी करे।

- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का बजट अनुमान 15 फरवरी तक अपने–अपने पंचायत से अनुमोदित होना आवश्यक है।
- जिला परिषद से बजट अनुमान अनुमोदित किया जाकर 28 फरवरी तक पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर दिया जाना चाहिये।
- स्वीकृति अधिकारी पंचायतों से प्राप्त बजट अनुमानों में कमी होने/आवश्यक सुझाव देने के लिये अगले 20 दिवस में बजट अनुमान को पंचायतों को पुनः लौटा सकता है।
- स्वीकृति अधिकारी 20 मार्च तक पंचायतों का बजट स्वीकृत कर पंचायतों को पुनः भिजवाना सुनिश्चित करता है।

पंचायत बजट की स्वीकृति

पंचायत के बजट अनुमानों को स्वीकृति देने वाला अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सभी पंचायतें अपने–अपने बजट अनुमान जिला परिषद के माध्यम से 28 फरवरी

तक स्वीकृति आधिकारी को भेजती हैं। स्वीकृति प्राधिकारी, बजट प्रारूपों में कमी लगने या कुछ सुझाव देने के लिये, बजट प्रपत्रों को अगले (20 दिवस में) पंचायतों को लौटा सकता है। परन्तु यदि तय समय के भीतर स्वीकृति अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो पंचायतें उन कार्यक्रमों व योजनाओं पर क्रियान्वयन शुरू कर सकती हैं जिनके लिये धन पंचायतों द्वारा स्वयं की आय से खर्च किया जाना है। लेकिन पंचायतें ऐसे किसी कार्य पर खर्च प्रारम्भ नहीं कर सकती जिनके लिये राशि राज्य/केन्द्र से प्राप्त की जानी हो ऐसे कार्य स्वीकृति अधिकारी द्वारा पंचायतों के बजट को स्वीकृति देने के बाद ही प्रारम्भ किये जा सकते हैं।

पंचायत : लेखा संधारण, मूल्यांकन तथा अंकेक्षण

पंचायत लेखा : पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 75 तथा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 228 से 238 में पंचायतों के लेखा रखने से सम्बंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनके अनुसार प्रत्येक पंचायती राज संस्था को निजी आय, राज्य, केन्द्र तथा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त आय तथा व्यय का विवरण रखना आवश्यक होता है।

पंचायत लेखे में प्रायः वास्तविक आय तथा व्यय का मदवार विवरण रखती हैं, जिसमें पंचायतों को प्रत्येक कार्य पर प्राप्त राशि तथा उस पर व्यय का विवरण उल्लेखित होता है। पंचायतों में लेखा संधारण से संबंधित मुख्य प्रावधान निम्न हैं।

खाता : ग्राम पचांयत का खाता निकट के राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है, जबकि पंचायत समिति का खाता उपकोषागार तथा जिला परिषद का खाता कोषागार में रखने का प्रावधान है। पंचायत समितियां तथा जिला परिषदें अपना खाता पी.डी. खाते (निजी निक्षेप खाते) के रूप में रखती हैं।

लेकिन कुछ विशेष योजनाओं के त्वरित संचालन के लिए उन योजनाओं का खाता पंचायत समिति व जिला परिषद स्तर पर बैंक में भी रखा जा सकता है, लेकिन यह केवल राशि हस्तांतरण की प्रकिया को सहज बनाने के लिये राज्य सरकार की अनुमति से हो सकता है। उदाहरण : नरेगा

निजी निक्षेप खाता : निजी निक्षेप खाता (पी.डी.अकाउंट) एक Inetrest Bearing Account के रूप में कोषागार तथा उपकोषागार में रखा जाता है। यह खाता केवल वित्त विभाग की अनुमति से खोला जा सकता है। इस खाते से ऐसा किसी प्रकार का धन आहरण नहीं किया जा सकता, जो 5 वर्षीय योजना में सम्मिलित मद ना हो। निजि निक्षेप खाते से केवल संस्था का प्रधान ही राशि का आहरण कर सकता है।

बैंक खाता : पंचायती राज संस्थाओं का बैंक में खाता केवल तभी रखा जा सकता है, जबकि सरकार द्वारा किसी योजना विशेष के लिए ऐसा करने के निर्देश जारी किए गए हों लेकिन उस स्थिति में भी पंचायतों का खाता केवल राष्ट्रीयकृत बैंक में ही रखने का प्रावधान है।

संयुक्त हस्ताक्षर : ग्राम पचांयत के खाते से कोई भी राशि निकालने के लिये हर चैक पर सरपंच व सचिव दोनों संयुक्त हस्ताक्षर करते हैं। पंचायत समिति पर 25000 रू. तथा जिला परिषद के मामले में 50000 रू. से अधिक के भुगतान पर क्रमशः विकास अधिकारी तथा प्रधान व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिला प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षर चैक पर अधिकृत होते हैं।

धन का आहरण : पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार, तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाएं क्रमशः जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत व्यक्तिक रूप से अधिकतम 1000 रूपये तक का नकद भुगतान कर सकती हैं। लेकिन 1000 रू. से अधिक राशि का भुगतान केवल चैक के माध्यम से ही किया जा सकता है।

आकस्मिक राशि : पंचायत स्तर पर आकस्मिक राशि से अभिप्राय उस राशि से है जो कोई पंचायती राज संस्था किसी आकस्मिक विपत्ति/समस्या के लिये सुरक्षित रखती है। ग्राम पंचायत स्तर पर 500 रूपये तथा पंचायत समिति व जिला परिषद स्तर पर 2000 की राशि को कार्यालय में आकस्मिक व्यय हेतु रखा जा सकता है। इससे अधिक राशि कार्यालय में रखने पर कार्यालय प्रधान को माह के अंत में राशि रखने का स्पष्टीकरण देना होता है।

राजस्व रजिस्टर : तीनों स्तरों की पंचायतें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद अपनी राजस्व आय को दर्शाने हेतु एक अलग रजिस्टर संधारित करती हैं। जिसमें उस पंचायत को अपने क्षेत्र में राजस्व से प्राप्त आय का विवरण रखा जाता है तथा प्रत्येक माह के अंत में कार्यालय अध्यक्ष उस रजिस्टर को हस्ताक्षरित करके प्रमाणित करता है।

रोकड़ बही : प्रत्येक पंचायती राज संस्था के लिए धन की प्राप्ति तथा व्यय का अभिलेख रखने के लिये प्रारूप संख्या 29 में रोकड़ बही रखे जाने का प्रावधान है। रोकड़ बही में सभी प्राप्तियों तथा खर्चों का दिनांकवार, योजनावार एवं मदवार विवरण अंकित किया जाता है। प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष हर माह के अंत में इस रोकड़ बही का वास्तविक मूल्यांकन करता है तथा रोकड़ बही को प्रति हस्ताक्षरित करके प्रमाणित करता है।

लेखों का मिलान : ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक माह के अंत में बैंक/पोस्ट ऑफिस से मासिक आय–व्यय का मिलान करवाये। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के मामले में लेखाधिकारी प्रत्येक माह के अंत में कोषागार/उपकोषागार से खातों का मिलान करवाता है।

उधार : पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 76 के अनुसार कोई भी पंचायती राज संस्था ऐसी योजनाओं के अंतर्गत, जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इस प्रयोजन के लिये तैयार की गई हो, राज्य सरकार से या सरकार की अनुमति से बैंक अथवा अन्य किसी वित्तीय संस्था से धन उधार ले सकती है।

पंचायत लेखा संधारण की प्रणाली :

त्रैमासिक लेखा विवरण : पंचायती राज नियम 1996 के नियम 245 के अनुसार तीनों स्तरों की पंचायतों द्वारा आय तथा व्यय के लेखों का त्रैमासिक विवरण प्रपत्र संख्या 35 में तैयार किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ष जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए त्रैमासिक लेखे तैयार किये जाकर, उस तिमाही से अगले महीने की 15 तारीख तक उच्चतर अधिकारी को भेजे जाने आवश्यक हैं।

वार्षिक लेखा विवरण : पंचायती राज नियम 1996 के नियम 246 के अनुसार ग्राम पंचायत/पंचायत समिति, प्रत्येक वर्ष के अन्त में बजट के प्रत्येक शीर्ष के अधीन अपनी आय और व्यय बताते हुए प्रपत्र संख्या 36 में वार्षिक लेखे तैयार करते हैं तथा 1 मई तक, जिला परिषद के माध्यम से, राज्य सरकार को भेजते है।

पंचायत के वार्षिक लेखे के साथ, प्रपत्र 37 में विभिन्न शीर्ष के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा राशि व्यय करने का कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षरित विवरण भी संलग्न किया जाता है। जिसमें पंचायत द्वारा अनुदान का उपयोग उन्हीं उद्देश्य और प्रयोजनों के लिए किया गया जिनके लिए वह दिया गया से संबंधित विवरण होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन विवरणों की सूक्ष्म संवीक्षा करके अपनी टिप्पणी सहित इन्हें राज्य सरकार को भेजता है तथा इसकी एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को भी दी जाती है।

पंचायत समिति वार्षिक लेखों के साथ निर्धारित प्रपत्र संख्या 38 में बकाया ऋणों और रकम का विवरण भी प्रस्तुत करती है।

पंचायत समिति वार्षिक लेखों के साथ विभिन्न योजनांतर्गत संचालित कार्यों पर व्यय की प्रगति सूची भी निर्धारित प्रारूप संख्या 39 में संलग्न करती है।

वार्षिक लेखों के साथ ग्राम पंचायत/पंचायत समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप संख्या 40 में आस्तियों (संपतियों) और दायित्वों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है।

जिला परिषदों का लेखा : पंचायती राज नियम 1996 के नियम 245 के अनुसार प्रत्येक जिला परिषद आय तथा व्यय का एक त्रैमासिक विवरण तैयार करती है तथा उसे राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजती है।

पंचायती राज नियम 1996 के नियम 246 के अनुसार प्रत्येक जिला परिषद अपनी आय और व्यय का वार्षिक लेखा विवरण, पंचायतों के वार्षिक विवरण के अनुरूप तैयार करती है तथा 15 मई तक राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजती है।

पंचायत के कार्यों का अंकेक्षण :

वित्तीय अंकेक्षण : संविधान के 73 वें संशोधन के अनुच्छेद 243 (जे) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के आय तथा व्यय के औचित्य की परीक्षा करने के लिए सभी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष लेखों की वित्तीय जांच (वित्तीय अंकेक्षण) करवाना अनिवार्य है।

त्रैमासिक मूल्यांकन : पंचायती राज नियम 1996 के नियम 201 के अनुसार प्रत्येक पंचायती राज संस्था बजट में व्यय राशि का त्रैमासिक आधार पर स्वयं मूल्यांकन करती है तथा इसके लिये एक रिर्पोट प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी व अप्रैल त्रैमास में तैयार किये जाने का प्रावधान है। इस

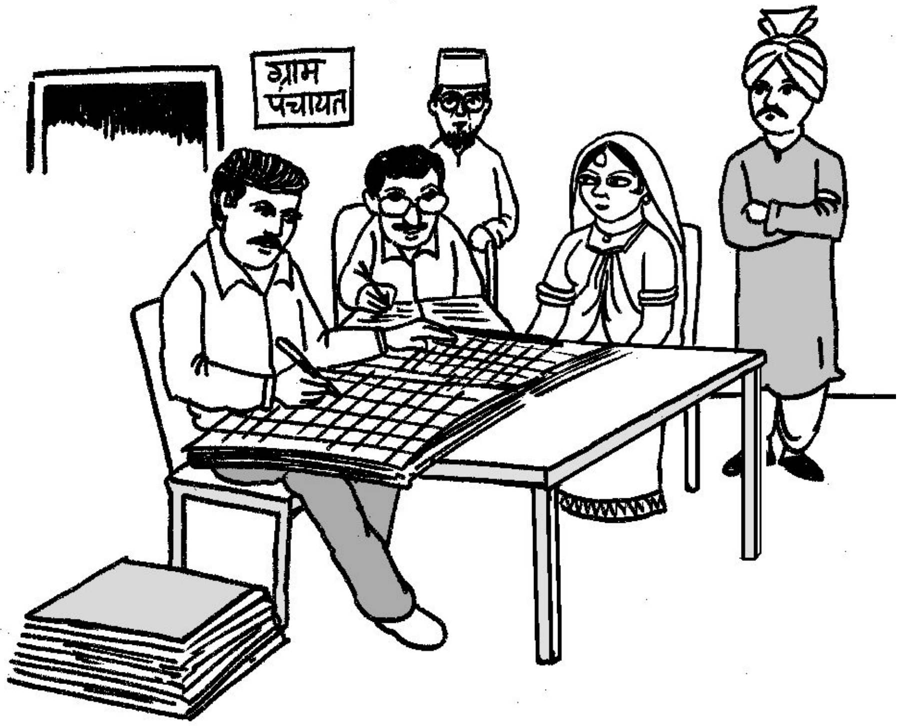

मूल्यांकन रिर्पोट के आधार पर ही पंचायतों की भौतिक व वित्तीय उपलब्धियों का आंकलन भी संभव हो पाता है।

वार्षिक जांच : पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 75 में पंचायतों के वित्तीय अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान रखे गये हैं जिनके अनुसार पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग तथा राजस्थान के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 की धारा 28 के अनुसार प्रत्येक पंचायती राज संस्था को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लेखों की वित्तीय जांच करवानी अनिवार्य है। स्थानीय निधी संपरीक्षा विभाग के निदेशक या उसकी टीम द्वारा तीनों स्तरों की सभी पंचायतों का वित्तीय अंकेक्षण किया जाता है, स्थानीय निधी संपरीक्षा विभाग द्वारा

पंचायतों की वित्तीय जांच करने से संबंधित मुख्य प्रावधान निम्न हैं :–

- संपरीक्षा प्रारम्भ होने से 15 दिन पूर्व संपरीक्षा की तिथि का नोटिस संपरीक्षक द्वारा संबंधित पंचायत के अध्यक्ष को दिया जाता है।
- संपरीक्षा की सम्पूर्ण प्रकिया कार्यालय प्रधान के कार्यालय परिसर में तथा कार्यालय समय में संचालित की जाती है।
- संपरीक्षक टीम को संबंधित पंचायत अपने आय व व्यय के सही व पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाती है।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संपरीक्षा के प्रभार के रूप में यदि कोई राशि यदि देय हो तो, वह पंचायतों द्वारा स्वयं की निजी आय में से भुगतान की जायेगी। उदा. – ग्राम पंचायत द्वारा 3000 रूपये / 2 दिवस के लिए देय है।
- संपरीक्षा पूर्ण होने पर संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति संपरीक्षक द्वारा कार्यालय प्रधान को तथा अन्य प्रतियां संबंधित उच्च अधिकारियों को स्वयं की टिप्पणी के साथ प्रस्तुत की जाती हैं।

विशेष जांच : तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की सांकेतिक जांच राजस्थान के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा भी किये जाने का प्रावधान है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा राज्य की सभी जिला परिषदों, सभी पंचायत समितियों तथा लगभग एक तिहाई ग्राम पंचायतों का प्रतिवर्ष वित्तीय अंकेक्षण किया जाता है।

सामाजिक अंकेक्षण :

राज्य में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 1996–97 से प्रारम्भ किया गया। सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 24.09.1996 को एक परिपत्र जारी किया गया इसकी उपयोगिता को देखते हुये सामाजिक अंकेक्षण निर्देशिका जारी की गई। सामाजिक अंकेक्षण की निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी योजनाओं का अंकेक्षण वर्ष में 2 बार (वित्तीय वर्ष के प्रथम व अंतिम त्रैमास में) किया जाना चाहिए।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 7 के अंतर्गत वार्ड सभा को सामाजिक संपरीक्षा का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार वार्ड सभा, वार्ड में किये गये सभी संकर्मो

की सामाजिक संपरीक्षा करने तथा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य करेगी।

सामाजिक अंकेक्षण अथवा लोक अंकेक्षण किसी विशेष परियोजना के कार्यो से संबंधित सभी लेखों की जांच करने के साथ–साथ कार्य की गुणवत्ता, विशेष उपलब्धियाँ, लाभान्वितों और कार्यस्थल आदि का अंकेक्षण है। वित्तीय अंकेक्षण में धन के सही उपयोग का निरीक्षण होता है, जबकि सामाजिक अंकेक्षण से धन के सही उपयोग के साथ उसके सकारात्मक प्रभाव को भी देखा जाता है।

राज्य में वर्ष 2010 में अलग से सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय का गठन किया गया है जिसके अनुसार पंचायतों द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जलग्रहण विकास, टी.एफ.सी., एस.एफ.सी., एम.पी.लैड, एम.एल.ए. लैंड, डांग, मगरा, मेवात, बी.आर.जी.एफ., बी.ए.डी.पी., टी. एस.सी., गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय आदर्श गांव, एस.जी.एस.वाई., इंदिरा आवास योजना, डी.पी.आई.पी. तथा पंचायत की निजी आय के संबंध में सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा सकता है।

परिशिष्ट – 1
प्रारूप –27
ग्राम पंचायत : आय व्यय विवरण

क.सं.	आय का विषय	आय का विवरण 2010–11 (वास्तविक)	आय का विवरण 2011–12 (अनुमानित)	व्यय का विषय	व्यय का विवरण 2010–11 (वास्तविक)	व्यय का विवरण 2011–12 (अनुमानित)
1	आरंभिक अतिशेष			1 आरंभिक अतिशेष		
2	निजी आय			व्यय का विवरण		
	• **कर राजस्व**			2 **सामान्य प्रशासन**		
	• **गैर कर राजस्व**			○ यात्रा व्यय		
	1 संविदा			○ सरपंच मानदेय		
	2 चारागाह			○ बैठक जलपान		
	3 दुकान किराया			○ आकस्मिता		
	4 फीस			**कुल**		
	5 पट्टा फीस			**कुल का प्रतिशत**		
	6 अन्य			3 पेयजल प्रदाय		
	कुल			○ हैण्डपम्प मरम्मत		
	कुल का प्रतिशत			○ नदी तालाब अनुरक्षण		
3	राज्य से राशि			4 नालियों इत्यादि की स्वच्छता		
	एस.एफ.सी./टी.एफ.सी.			5 शौचालय निर्माण/रखरखाव		
	कुल			6 कांजी हाउस		
	कुल का प्रतिशत			7 चिकित्सकीय सहायता		
4	केन्द्र से प्राप्त राशि			8 आंगनबाडी		
5	जिला परिषद से प्राप्त राशि			9 सार्वजनिक भवन अनुरक्षण		
6	दान/अभिदान से प्राप्त राशि			10 प्राथमिक शिक्षा		
7	ब्याज इत्यादि			11 कृषि एवं वानिकी विकास		
8	उधार, निक्षेप और अग्रिम			12 पशुधन व ग्रा. वि. कार्य		
9	न्यायालय द्वारा आदिष्ट राशि			13 कब्रिस्तान/शमशान		
10	बी.आर.जी.एफ.			14 जनकल्याण		
11	महानरेगा			15 आकस्मिक व्यय		
12	टी.ए.डी.			16 एस.एफ.सी./टी.एफ.सी.		
13	एम.डी.एम.			17 बी.आर.जी.एफ.		
14	एस.जी.एस.वाई.			18 एस.जी.एस.वाई.		
15	एम.एल.ए.लैड			19 एम.एल.ए.लैड		
	कुल आय			20 महानरेगा		
	महायोग			21 एम.डी.एम.		
				22 टी.ए.डी.		
				कुल व्यय		
				महायोग		

परिशिष्ट – 2
प्रारूप –28
पंचायत समिति : आय व्यय विवरण

क्र.सं.	आय का विषय	आय		व्यय का विषय	व्यय	
		2010–11 (वास्तविक)	2011–12 (अनुमानित)		2010–11 (वास्तविक)	2011–12 (अनुमानित)
1	आरंभिक अतिशेष			आरंभिक अतिशेष		
2	निजी आय			1 व्यय का विवरण		
	• **कर राजस्व**			2 सामान्य प्रशासन		
	• **गैर कर राजस्व**			○ पत्र पत्रिका / विज्ञापन		
	1 मकान किराया			○ बैठकों में जलपान		
	1 विविध आय			○ परिसर साफ सफाई		
	2 मत्स्य ठेका			○ नल पानी व्यवस्था		
	3 हड्डी ठेका			○ प्रधान व सदस्यों का भत्ता		
	4 चौकड़ी, कृषि फार्म आय			○ स्वर्ण जयंती समारोह व्यय		
	5 दुकान किराया			○ विविध व्यय		
	6 वाहन क्रय हेतु जि.प. से आय			○ अंकेक्षण शुल्क		
	7 टेन्डर फार्म बिक्री			**कुल**		
	9 निजी आय विज्ञापन व्यय			**कुल का प्रतिशत**		
	कुल			2 2515–वेतन भत्ते, प्रशासनिक व्यय		
	कुल का प्रतिशत			3 2215–जलापूर्ति एवं सफाई		
3	राज्य से राशि			4 2406–वानिकी		
	2515–वेतन भत्ते, प्रशासनिक व्यय			5 ई.एफ.सी. / एस.एफ.सी.		
	2215–जलापूर्ति एवं सफाई			6 2402– भू संरक्षण संवेतन		
	2406–वानिकी			7 सरपंच सचिव वार्डपंच प्रशिक्षण		
	2702–लघु सिचाई			8 टी.एस.सी.		
	सरपंच सचिव वार्डपंच प्रशिक्षण			9 एम.डी.एम.		
	टी.एस.सी.			10 तृतीय वित्त आयोग		
	अमानत जनता आवास			11 बाहरवां वित्त आयोग		
	तृतीय वित्त आयोग			12 सांसद कोटा		
	कुल			13 एम.एल.ए.लैड		
	कुल का प्रतिशत			14 एस.जी.एस.वाई.		
4	केन्द्र से राशि			15 कार्यशाला एस.सी. / डी.सी.		
	बाहरवां वित्त आयोग			16 उपस्वास्थ्य केन्द्र		
	सांसद कोटा			17 एस.जी.आर.वाई.		
	एम.एल.ए.लैड			18 वाटर शेड		
	एम.डी.एम.			19 अन्य कार्यक्रम		
	कार्यशाला एस.सी. / डी.सी.			20 पंचायत समीति ऋण व निक्षेप		
	एस.जी.आर.वाई.			21 बैंक जमा पर ब्याज		
	वाटर शेड			**कुल**		
	अन्य कार्यक्रम			**कुल का प्रतिशत**		
	पंचायत समीति ऋण व निक्षेप			**महायोग**		
	कुल					
	कुल का प्रतिशत					
	महायोग					

परिशिष्ट – 3
प्रारूप –28
जिला परिषद : आय व्यय विवरण

क्र.सं.	आय का विषय	आय		व्यय का विषय	व्यय	
		2010–11 (वास्तविक)	2011–12 (अनुमानित)		2010–11 (वास्तविक)	2011–12 (अनुमानित)
1	आरंभिक अतिशेष			आरंभिक अतिशेष		
2	निजी आय			1 व्यय का विवरण		
	• **कर राजस्व**			2 सामान्य प्रशासन		
	• **गैर कर राजस्व**			○ पत्र पत्रिका/विज्ञापन		
	1 मकान किराया			○ बैठकों में जलपान		
	1 विविध आय			○ परिसर साफ सफाई		
	2 मत्स्य ठेका			○ नल पानी व्यवस्था		
	3 हड्डी ठेका			○ प्रधान व सदस्यों का भत्ता		
	4 चौकडी, कृषि फार्म आय			○ स्वर्ण जयंती समारोह व्यय		
	5 दुकान किराया			○ विविध व्यय		
	6 वाहन क्रय हेतु जि.प. से आय			○ अंकेक्षण शुल्क		
	7 टेन्डर फार्म बिक्री			**कुल**		
	9 निजी आय विज्ञापन व्यय			**कुल का प्रतिशत**		
	कुल			2 2515–वेतन भत्ते, प्रशासनिक व्यय		
	कुल का प्रतिशत			3 2215–जलापूर्ति एवं सफाई		
3	राज्य से राशि			4 2406–वानिकी		
	2515–वेतन भत्ते, प्रशासनिक व्यय			5 ई.एफ.सी./एस.एफ.सी.		
	2215–जलापूर्ति एवं सफाई			6 2402– भू संरक्षण संवेतन		
	2406–वानिकी			7 सरपंच सचिव वार्डपंच प्रशिक्षण		
	2702–लघु सिचाई			8 टी.एस.सी.		
	सरपंच सचिव वार्डपंच प्रशिक्षण			9 एम.डी.एम.		
	टी.एस.सी.			10 तृतीय वित्त आयोग		
	अमानत जनता आवास			11 बाहरवां वित्त आयोग		
	तृतीय वित्त आयोग			12 सांसद कोटा		
	कुल			13 एम.एल.ए.लैड		
	कुल का प्रतिशत			14 एस.जी.एस.वाई.		
4	केन्द्र से राशि			15 कार्यशाला एस.सी./डी.सी.		
	बाहरवां वित्त आयोग			16 उपस्वास्थ्य केन्द्र		
	सांसद कोटा			17 एस.जी.आर.वाई.		
	एम.एल.ए.लैड			18 वाटर शेड		
	एम.डी.एम.			19 अन्य कार्यक्रम		
	कार्यशाला एस.सी./डी.सी.			20 पंचायत समीति ऋण व निक्षेप		
	एस.जी.आर.वाई.			21 बैंक जमा पर ब्याज		
	वाटर शेड			**कुल**		
	अन्य कार्यक्रम			**कुल का प्रतिशत**		
	पंचायत समीति ऋण व निक्षेप			**महायोग**		
	कुल					
	कुल का प्रतिशत					
	महायोग					

परिशिष्ट – 4

प्रारूप – 35

पंचायत लेखों का त्रैमासिक विवरण

राजस्व					संदाय				
लेखा शीर्ष संख्या	राजस्व का मुख्य शीर्ष	बजट उपबन्ध	वास्तविकताएं	बचत (–) आधिक्य (+)	लेखा शीर्ष संख्या	व्यय का मुख्य शीर्ष	बजट उपबन्ध	वास्तविकताएं	बचत (–) आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
राजस्व के बजट शीर्ष के अनुसार					व्यय के बजट शीर्ष के अनुसार				

प्रारूप – 36

पंचायत लेखों का वार्षिक विवरण

क्रमांक	विभाग	स्कीम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त की गई रकम	वर्ष के दौरान व्यय की गई रकम	समापन प्रमाण पत्र, इत्यादि के बारे में विशिष्टियां
1	2	3	4	5	6

प्रारूप – 37

वर्ष के दौरान प्राप्त और व्यय किये गये सहायता अनुदान का विवरण

राजस्व					संदाय				
लेखा शीर्ष	राजस्व का मुख्य शीर्ष	वर्ष के लिए प्राक्कलित बजट शीर्ष	तिमाही के दौरान वास्तविक राजस्व	तिमाही के अन्त तक संचयी योग	लेखा शीर्ष	व्यय का मुख्य शीर्ष	वर्ष के लिए प्राक्कलित बजट शीर्ष	तिमाही के दौरान वास्तविक व्यय	तिमाही के अन्त तक संचयी योग
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
राजस्व के बजट शीर्ष के अनुसार					व्यय के बजट शीर्ष के अनुसार				

प्रारूप – 38

वर्ष के दौरान प्राप्त उधारों और किये गये संदायों का विवरण

क्रमांक	गांव का नाम	संकर्म की विशिष्टियां	प्रारम्भ की तारीख	मंजूर की गई रकम	व्यय की गई रकम	अन्य प्रविष्टियां चाहे विभाग द्वारा या संविदा के माध्यम से कराये गये हों समापन की तारीख, इत्यादि
1	2	3	4	5	6	7

परिशिष्ट–5

प्रारूप – 39

वर्ष के दौरान संचालित कार्यों की प्रगति सूची का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम जिससे उधार संबंधित है।	निर्देश संख्या और मंजूरी की तारीख	वह प्रयोजन जिसके लिए उधार मंजूर किया गया।	वह तारीखें जिनको उधार प्राप्त किये गये।	नियत की गई किश्तो की संख्या	प्राप्त की गई रकम	बकाया यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय के लिए देय रकम	वास्तव में प्रतिसंदत्त रकम	असंदत्त किश्त का अतिशेष, यदि उसे सहायता अनुदान में से समायोजित किया गया है।
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

प्रारूप–40

आस्तियों एवं दायित्वों का विवरण

दायित्व			आस्तियां		
क्र.सं.	शीर्ष	रकम	क्र.सं.	शीर्ष	रकम
A	निक्षेप		A	उधार	
1	सरकारी कर्मचारियों से प्रतिभूति निक्षेप		1	कृषि	
2	संविदाकारों और फर्मों से निक्षेप		2	तकाबी	
3	अन्य निक्षेप		3	सहकारी	
B	राज्य को प्रति संदेय उधार		4	औधोगिक	
1	कृषि		5	समुदायिक विकास	
2	तकाबी			योग	
3	सहकारी		B	अग्रिम	
4	औधोगिक		1	विविध अग्रिम	
5	समुदायिक विकास		2	स्थायी अग्रिम	
C	अन्य उधार		3	सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम	
D	संदेय बिल			• खाद्यान्न अग्रिम	
E	अप्रयुक्त विनिर्दिष्ट अनुदान			• वाहन अग्रिम	
	कुल योग			• आवासन अग्रिम	
			C	विनिधान	
			D	प्राप्त किया जाने वाला सहायता अनुदान	
			E	उधारों पर उद्भूत ब्याज	
			F	नकद अतिशेष	
			1	हस्तगत	
			2	पी.डी. लेखे में	
				कुल योग	

परिशिष्ट–6

केन्द्र सरकार से राशि आवंटन : पंचायती राज संस्थाओं को केन्द्र सरकार से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की मद के अंतर्गत राशि आवंटन किया जाता है। केन्द्र सरकार से पंचायतों को राशि आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है।

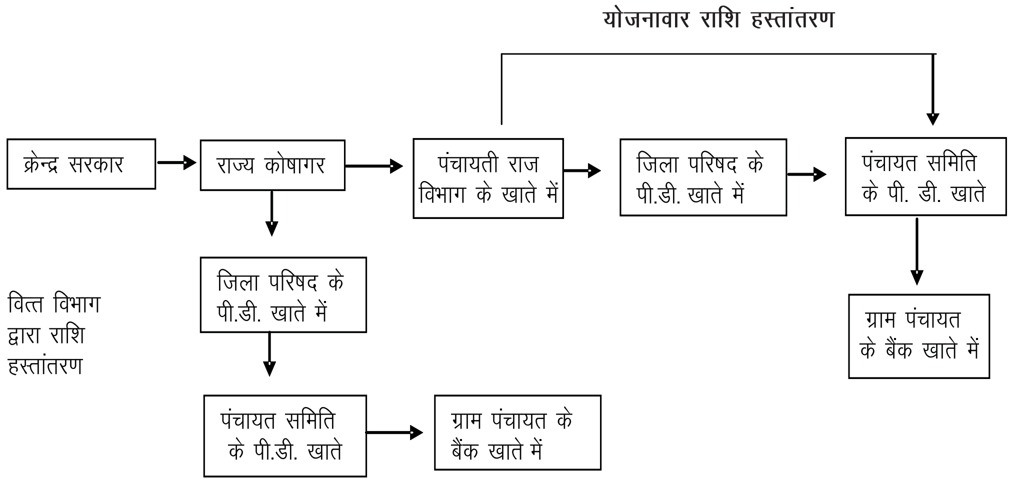

राज्य सरकार से राशि हस्तांतरण : राज्य में तीनों स्तरों की पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु तथा राज्य वित्त आयोग के मद के अंतर्गत राशि आवंटन किया जाता है। यह राशि आवंटन पंचायतों को निम्न प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है।

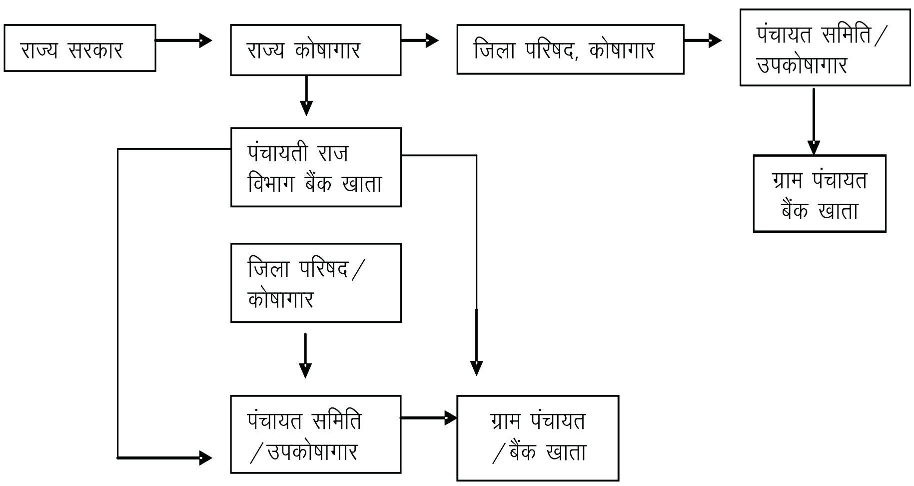

परिशिष्ट – 7

सोसायटीज से राशि हस्तांतरण : केन्द्र तथा राज्य स्तर पर बहुत सी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का संचालन सोसायटीज के माध्यम से किया जाता है, इन सोसायटीज का गठन 1958 सोसायटीज एक्ट के अन्तर्गत रजिस्र्टड संस्थाओं के रूप में किया जाता है। राज्य में पंचायतों को कई कार्यक्रम/योजनाओं के संचलान हेतु राशि आवंटन सोसायटीज के द्वारा भी किया जाता है। इन सभी सोसायटीज में राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया निम्न प्रकार से संचालित की जाती है।

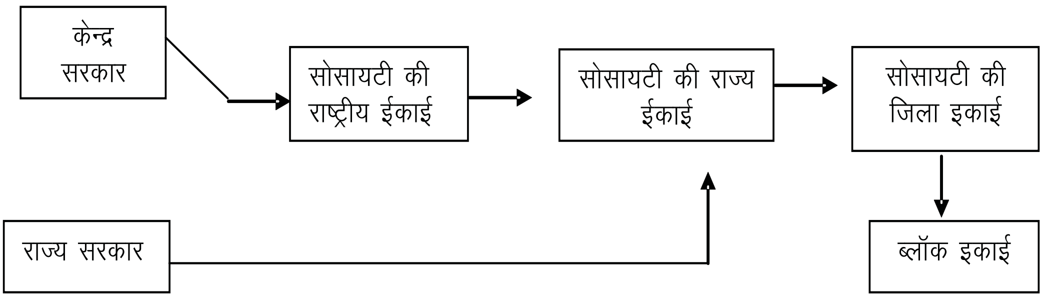

उदाहरण – सर्व शिक्षा अभियान , एन.आर.एच.एम.

अंर्तराष्ट्रीय वित्त पोषित योजनाओं में राशि हस्तांतरण : राज्य में पंचायत स्तर पर बहुत सी योजनाएं एवं कार्यक्रम विदेशी संस्थाओं के सहयोग व अनुदान के आधार पर संचालित किये जाते है। इन योजनाओं तथा कार्यक्रमों में पंचायतों को राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया निम्न प्रकार से संचालित की जाती है।

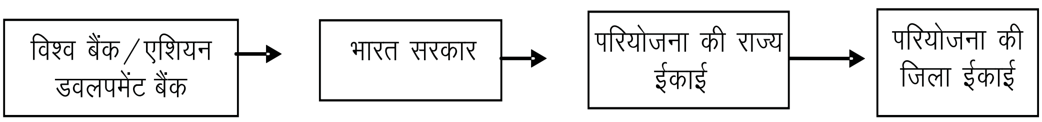

उदाहरण – जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना 1–2 , आर.यू.आई.डी.पी.

सन्दर्भ सूची :

राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 – सुखवीर सिंह गहलोत

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 – सुखवीर सिंह गहलोत

ग्रा.वि. एवं पं.रा. विभाग, वार्षिक प्रतिवेदन 2011–12, 2012–13

राजस्थान चतुर्थ वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट 1, 2

बजट पुस्तिका 2013–14, राजस्थान सरकार

भारत का संविधान – सुभाष कश्यप

वेब साईट :

www.rajpanchayati.gov.in

www.financecommission.gov.in

बार्क के अन्य प्रकाशनों की सूची

शीर्षक	Title in English	प्रकाशन तिथि
दक्षिणी राजस्थान में शिक्षा का अधिकार : एक अध्ययन	Right To Education In Southern Rajasthan : A Study	फरवरी, 2012
बजट को वंचित समुदायों की हकदारी से जोड़ने के प्रयास	Linking Budgets To The Concerns Weaker Sections	2012
राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति	Rajasthan : A Study of State Finances	फरवरी, 2012
भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : मुख्य परिणाम	Transparency in State Budget in India : Summary Fact Sheet	2011
भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : राजस्थान	Transparency in State Budget in India : Rajasthan	2011
बजट अध्ययनः एक परिचय	Budget Study: An Introduction	अगस्त, 2010
राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं सम्बन्धित योजनाएं : एक अध्ययन	Food Security and Related Schemes in the State: A Study	अगस्त, 2010
कृषि ऋण–कितना सार्थक ?	Agriculture Loan: How Good	जून, 2010
लुप्त होती लघुवन उपज : खतरे में आदिवासी आजीविका	Depleting Mining Forest Produce: Threat to Tribal Livelihood	दिसम्बर, 2009
दलितों के लिए राज्य की कल्याणकारी योजनाएं	State's Welfare Schemes for Dalits	जून, 2009
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून : क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता	NREGA: Need of Reform in Implementation	दिसम्बर, 2008
स्वजलधारा : व्यर्थ बहा जनता का पैसा	'Swajal Dhara': People's Money Drained	जुलाई, 2008
ग्रामीण लघु उद्योग क्षेत्र में सरकारी प्रयासों की कथनी–करनी : एक नजर	Reality of Government Efforts in Small Industry Sector: A Study	अप्रेल, 2008
सरकारी विकास योजनाऐं और आम आदमी तक उनकी पहुंचः एक आंकलन	Government Development Schemes and their reach to common People: An Assessment	दिसम्बर, 2007
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राज्य के बजट से)	Spending on Social Sector (From State Budget)	मार्च, 2007
राजस्थान में विधवाओं का अभावग्रस्त जीवन : राज्य ने क्या भूमिका निभाई?	The Destitution of Widows in Rajasthan: What role has the state played?	फरवरी, 2007
स्थानीय स्तर पर लिंग आधारित बजट (जेण्डर बजट) : कैसे करेंगे पैरवी	Gender Budget at State Level: How to do Advocacy	दिसम्बर, 2006
दलित, गरीब तथा वंचित लोगों के लिए समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज विभाग एवं खाद्य–नागरिक आपूर्ति विभाग की कल्याणकारी योजनाएं	Welfare Schemes for Dalits, Poor and Marginalised	नवम्बर, 2006
राजस्थान में फसल बीमा : सुधार की आवश्यकता	Crop Insurance in Rajasthan: Need of Improvement	सितम्बर, 2006
बजट की तकनीकी शब्दावली	Budget Terminologies	सितम्बर, 2006
दलित एवं आदिवासियों के लिए बजट एवं योजनाएं	Budget and Schemes for Dalits and Tribals	नवम्बर, 2005
गरीबी हटाओ अभियानः कितना सफल–कितना असफल	'Gharibi Hatao': How Successful	

बार्क टीम : डॉ. नेसार अहमद
भूपेन्द्र कौशिक
महेन्द्र सिंह राव
गंगा शर्मा
सुचेता शर्मा
बर्खा माथुर
निधि निर्वाना
अंकुश वर्मा

सलाहकार : डॉ. जिनी श्रीवास्तव

"Budget Links Policy to People and People to Policy"

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी-1, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन/फैक्स - 0141-2385254

E-mail: info@barcjaipur.org ■ Web: www.barcjaipur.org